भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 460**

दिनांक 13 दिसंबर, 2018 को उत्‍तर के लिए

**आंगनबाड़ी में बच्चों का फर्जी नामांकन**

**460. श्री डी॰ कुपेन्द्र रेड्डीः**

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि देश में लाखों फर्जी बच्चे आंगनबाड़ी केन्द्रों में पंजीकृत हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसी कुप्रथाओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

**उत्‍तर**

डा. वीरेंद्र कुमार महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में राज्‍य मंत्री

(क) और (ख) : समेकित बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) स्‍कीम की आंगनवाड़ी सेवाओं के अंतर्गत लाभार्थियों की पहचान आधार के अनुसार की जाती है, जिसका इस्‍तेमाल सेवाएं अथवा लाभ प्रदान करने के लिए पहचान दस्‍तवोज के रूप में किया जाता है, जिससे पारदर्शिता और कार्यकुशलता आती है और जिससे लाभार्थी अपने हक प्राप्‍त कर सकते हैं।

जिन लाभार्थियों के पास आधार कार्ड नहीं होता है, उन्‍हें आधार कार्ड दिलाने में क्षेत्र कर्मी उनकी सहायता करते हैं। तब तक, ऐसे लाभार्थियों को वैकल्‍पिक पहचान दस्‍तावेज के आधार पर आंगनवाड़ी सेवाएं प्रदान की जाती हैं। नकली लाभार्थियों, यदि कोई हों, की पहचान करने के लिए यह एक महत्‍वपूर्ण उपाय और यह एक सतत प्रक्रिया है।

\*\*\*\*\*